

(1). आज दिनांक 01.10.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनांक 01.10.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 01.10.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/चैकियों में, पुलिस लाइंस एवं समस्त कार्यालयों में पुलिस बल द्वारा “स्वच्छता ही सेवा” पखवाड़े के अंतर्गत “एक तारीख एक घण्टा स्वच्छता के लिए श्रमदान” अभियान के क्रम में वृहद स्तर पर साफ-सफाई कर किया गया श्रमदान।

"स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत"

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में 30नि0 श्री विजय बहादुर यादव तथा उनकी द्वारा ग्राम ऐंचवारा से ताश के पत्तों में हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये अभियुक्त पुष्पराज पुत्र शिवसागर 2. संतोष कुमार पुत्र भोला प्रसाद 3. उमाकांत पुत्र नत्थू प्रसाद 4. बिंदेश्वरी तिवारी पुत्र सत्यनारायण तिवारी निवासीगण ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड 225/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 150/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

1. मालफड 225/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 150/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री विजय बहादुर यादव थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी सोनपाल
3. आरक्षी शक्ति सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में

चौकी प्रभारी जिला कारागार श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा 02 चोरों को चोरी के डी.जे. का जरनेटर उतारने/चढ़ाने वाले लोहे के चैनल एवं घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर की बाइक के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.09.2023 को वादी श्री बसंतलाल मौर्य पुत्र छत्रपाल निवासी चकौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी कि अमित शुक्ला पुत्र अशोक निवासी पचोखर थाना पहाड़ी तथा शैलेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी असोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा डी.जे. का जरनेटर का उतारने/चढ़ाने वाले लोहे के चैनल को चोरी कर लिया है एवं उनकी टीयूवी गाड़ी का सीसा तोड़ दिया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 597/2023 धारा 379,427 भादवि बनाम अमित शुक्ला व शैलेन्द्र सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चौकी प्रभारी जिला कारागार श्री राजीव कुमार सिंह को लगाया गया। चौकी प्रभारी जिला कारागार तथा उनके हमराही द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.09.2023 को अभियुक्त अमित शुक्ला एवं शैलेन्द्र सिंह उपरोक्त को डी.जे. का जरनेटर उतारने/चढ़ाने वाले लोहे के चैनल व घटना में प्रयुक्त होण्डा की एसपी साइन बिना नम्बर की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का चैनल बरामदगी के आधार पर मुदकमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अमित शुक्ला पुत्र अशोक निवासी पचोखर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट
2. शैलेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी असोह थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

बरामदगी:-

डी.जे. जरनेटर का उतारने/चढ़ाने वाले लोहे के चैनल
घटना में प्रयुक्त होण्डा की एसपी साइन बिना नम्बर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी जिला कारागार श्री राजीव कुमार सिंह
2. आरक्षी संजय पाल

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 251/2015 धारा 147,353,342,283,504 भादवि व 7 सी.एल.ए.एक्ट के वारंटी अभियुक्त 1.छोटेलाल पुत्र गजराज 2. राजकुमार पुत्र मातादीन 3. वादी उर्फ राजा अहमद पुत्र बादल उर्फ समसुल हक 4.सत्यनारायण रविदास पुत्र स्व0 चुन्ना 5. रामकेस पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासीगण ग्राम गोंडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री इमरान खान थाना भरतकूप
2. आरक्षी अजीजुद्दीन

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा गेटा पुरवा में हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.09.2023 को रात्रि करीब 8:00 बजे गेटा पुरवा नहर के पास अजय उर्फ पिट्टू पुत्र ललई उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम गेटा पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा चित्रकूट की राजकुमार उर्फ कुंअर व फूलचंद उर्फ फुल्लू पुत्रगण स्व0 ददुआ निवासीगण ग्राम गेटा पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा गला दबाकर मारपीट कर व नहर में डुबो-डुबो कर हत्या कर दी गई थी एवं मौके से फरार हो गये थे। घटना के सम्बन्ध में थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 113/23 धारा 302,201 भादवि बनाम राजकुमार व फूलचन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेकर थानाध्यक्ष रैपुरा को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थानाध्यक्ष रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनांक 01.10.2023 को अभियुक्त राजकुमार उर्फ कुंआर पुत्र स्व0 ददुआ 2. फूलचंद उर्फ फुल्लू पुत्र स्व0 ददुआ निवासी गण ग्राम गेटा पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. राजकुमार उर्फ कुंआर पुत्र स्वर्गीय ददुआ
2. फूलचंद उर्फ फुल्लू पुत्र स्व0 ददुआ निवासी गण ग्राम गेटा पुरवा मजरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार पाल
3. आरक्षी अजीत यादव
4. आरक्षी नन्हे यादव

(8). पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री शम्भू दयाल मौर्या तथा उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों पर हमला करने वाले अभियुक्त को अवैध तमंचा कारतूस व घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2023 को श्री राजेश सिंह पुत्र महेश कुमार सिंह निवासी परसौजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी कि 06,07 अज्ञात चोरों द्वारा उनकी भैंस को चुरा ले जा रहे थे जब उनका पीछा किया एवं भैंस को छुड़वाया तो चोरों ने उनके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया एवं पिकअप वाहन चढ़ा कर जान से मारने का प्रयास किया। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 191/2023 धारा 147,148,149,382,307,427 भादवि बनाम 06, 07 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेकर निरीक्षक अपराध श्री शम्भू दयाल मौर्या को तत्काल रवाना कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्या एवं उनकी टीम द्वारा ग्रामीणों की सूचना पर मंदाकिनी नदी के पुल कहेटा के पास से अभियुक्त मोहम्मद इरसाद पुत्र अली मोहम्मद निवासी सनीगांव थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त पिकअप रजि0 नं0 यूपी0 71 टी 5654 के साथ गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

मोहम्मद इरसाद पुत्र अली मोहम्मद निवासी सनीगांव थाना कोतवाली फतेहपुर जनपद फतेहपुर

बरामदगी:-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. घटना में प्रयुक्त पिकअप रजि0 नं0 यूपी0 71 टी 5654

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक अपराध थाना पहाड़ी श्री शम्भू दयाल मौर्या
2. वरि0उ0नि0 श्री राहुल कुमार वर्मा
3. उ0नि0 श्री रविकान्त राय
4. आरक्षी दीपक कुमार
5. आरक्षी विवेक राजा

(9). पुलिस अक्षीक महोदया के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 40/19 धारा 323/354/506 भादवि 8 पास्को एक्ट व 3(1)द एससी एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त छेदीलाल पटेल उर्फ जानकी पुत्र मन्झा उर्फ फूलचन्द्र पटेल निवासी ग्राम पोखरी पुरवा लवेद खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट व मु0नं0 734/2022 धारा 504/506 भादवि व 11(iv),12 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त हुबलाल उर्फ हुब्बा पुत्र भोरेलाल निवासी ग्राम खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट तथा वारण्टी अभियुक्त शारदा प्रसाद उर्फ भुरई पुत्र लालादीन निवासी ग्राम चकवा थाना मऊ जनपद को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी नागेश